

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -518/2024

अनवान : -

1. रणजीत पुत्र बिरबलराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र अमीलाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र अमीलाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. बाधो देवी पुत्री अमीलाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. तीजा देवी पत्नी अमीलाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. रामकुमार पुत्र गुरुमुख जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 17/9/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के प0न0 358/418 के मु0न0 17 के किला न0 11 ता 25 प्रत्येक की 0.253 कुल 3.7950 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण पक्षकारान का आपस में कब्जा काश्त एवं सीव का झगड़ा रहता है वाद भूमि का आपसी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही वादी काबिज है। इसलिए वादी मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के हिसाब से खाता व लगान अलग करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त भूमि के मुताबिक खाता व लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया की वाद भूमि का कभी बंटवारा नही हुआ है वाद भूमि मुश्तरका खाता की है इसलिए मुताबिक अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी भूमि के मुताबिक खाता व लगान अलग किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा भी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।


वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की विभाजन प्रस्ताव पर सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के प0न0 358/418 के मु0न0 17 के किला न0 11 ता 25 प्रत्येक की 0.253 कुल 3.7950 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 रणजीत पुत्र बीरबल जाति मेघवाल सा0 परलीका खातेदार रहन पीएनबी शाखा परलीका 358/418(17) के किला न0 14 की 0.0630 हैक्ट, 15 ता 25 की 2.783 हैक्ट कुल 2.8460 हैक्ट नहरी
- 2 रामकुमार पुत्र गुरमुख जाति मेघवाल सा0 परलीका खातेदार प0न0 358/418 (17) के किला न0 11 की 0.2400, 11 की 0.0130 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 12 की 0.0600 हैक्ट, 12 की 0.0030 हैक्ट गै0मु0 रास्ता कुल 0.3160 हैक्ट, 0.3000 हैक्ट नहरी, 0.01600 हैक्ट गै0मु0 रास्ता
- 3 जगदीश पुत्र अमीलाल हि0 1/2, बादो देवी पुत्री अमीलाल हि0 1/2 जाति मेघवाल सा0 परलीका खातेदार प0न0 358/418 (17) के किला न0 12 की 0.1900 हैक्ट, 13 की 0.2530 हैक्ट, 14 की 0.1900 हैक्ट कुल 0.6330 हैक्ट नहरी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या -518/2024

अनवान : -

1. रणजीत पुत्र बिरबलराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र अमीलाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र अमीलाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. बाधो देवी पुत्री अमीलाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. तीजा देवी पत्नी अमीलाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. रामकुमार पुत्र गुरमुख जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 518 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण की सहमति के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के प०न० 358/418 के मु०न० 17 के किला न० 11 ता 25 प्रत्येक की 0.253 कुल 3.7950 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

- 1 रणजीत पुत्र बीरबल जाति मेघवाल सा० परलीका खातेदार रहन पीएनबी शाखा परलीका 358/418(17) के किला न० 14 की 0.0630 हैक्ट, 15 ता 25 की 2.783 हैक्ट कुल 2.8460 हैक्ट नहरी
- 2 रामकुमार पुत्र गुरमुख जाति मेघवाल सा० परलीका खातेदार प०न० 358/418 (17) के किला न० 11 की 0.2400, 11 की 0.0130 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 12 की 0.0600 हैक्ट, 12 की 0.0030 हैक्ट गै०मु० रास्ता कुल 0.3160 हैक्ट, 0.3000 हैक्ट नहरी, 0.01600 हैक्ट गै०मु० रास्ता
- 3 जगदीश पुत्र अमीलाल हि० 1/2, बादो देवी पुत्री अमीलाल हि० 1/2 जाति मेघवाल सा० परलीका खातेदार प०न० 358/418 (17) के किला न० 12 की 0.1900 हैक्ट, 13 की 0.2530 हैक्ट, 14 की 0.1900 हैक्ट कुल 0.6330 हैक्ट नहरी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 17/9/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर